भारत सरकार

भारी उद्योग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1197

30 जुलाई, 2024 को उत्तर के लिए नियत

इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहन

1197. श्री योगेन्द्र चांदोलिया:

क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश में इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) को प्रोत्साहित करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार देश के लोगों को राजसहायता प्रदान करने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

भारी उद्योग राज्य मंत्री

(श्री भूपतिराजु श्रीनिवास वर्मा)

(क) और (ख): भारी उद्योग मंत्रालय देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहन देने के लिए वर्तमान में निम्नलिखित स्कीमें कार्यान्वित कर रहा है:

i. 1 अप्रैल, 2024 से 31 जुलाई, 2024 तक की 4 माह की अवधि के लिए 500 करोड़ रुपये के परिव्यय से इलेक्ट्रिक वाहन संवर्धन स्कीम (ईएमपीएस)-2024 जिसमें इलेक्ट्रिक दुपहिया और इलेक्ट्रिक तिपहिया वाहनों के ख़रीदारों को आर्थिक प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है।

ii. 25,938 करोड़ रुपये के बजट परिव्यय से आटोमोबिल और आटो घटक उद्योग के लिए उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन स्कीम (पीएलआई-एएटी)। इस स्कीम के अंतर्गत विभिन्न श्रेणी के इलेक्ट्रिक वाहनों को आर्थिक प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है जिनमें इलेक्ट्रिक दुपहिया, इलेक्ट्रिक तिपहिया, इलेक्ट्रिक चौपहिया वाहन, इलेक्ट्रिक बसें और इलेक्ट्रिक ट्रक भी शामिल हैं।

iii. 18,100 करोड़ रुपये के बजट परिव्यय से देश में उन्नत रसायन सेल बैटरी भंडारण विनिर्माण के लिए उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन स्कीम (पीएलआई-एसीसी)।

iv. वैश्विक इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माताओं से निवेश आकर्षित करने और भारत को इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रमुख विनिर्माता के रूप में बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रिक यात्री कार विनिर्माण संवर्धन स्कीम।

इसके अलावा, देश में इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने निम्नलिखित पहलें की हैं:

i. इलेक्ट्रिक वाहनों और इलेक्ट्रिक वाहनों के चार्जरों/चार्जिंग स्टेशनों पर जीएसटी को घटाकर 5% कर दिया गया है।
ii. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने घोषणा की है कि बैटरी-चालित वाहनों को हरे रंग की लाइसेंस प्लेट दी जाएगी और उन्हें परमिट लेने की आवश्यकता नहीं होगी।
iii. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी कर राज्यों को इलेक्ट्रिक वाहनों पर पथ-कर माफ करने की सलाह दी है जिससे इलेक्ट्रिक वाहनों की शुरुआती लागत को कम करने में मदद मिलेगी।

(ग) और (घ): केंद्र सरकार भारत में इलेक्ट्रिक एवं हाइब्रिड वाहनों का तीव्र अंगीकरण और विनिर्माण स्कीम, चरण-I और चरण-II के अंतर्गत इलेक्ट्रिक वाहन के खरीदारों को वर्ष 2015 से सब्सिडी प्रदान करती रही है। इलेक्ट्रिक वाहन संवर्धन स्कीम (ईएमपीएस)-2024 के अंतर्गत इलेक्ट्रिक वाहनों के खरीद मूल्य में तत्काल छूट के रूप में इलेक्ट्रिक दुपहिया और इलेक्ट्रिक तिपहिया वाहनों के खरीदारों को आर्थिक प्रोत्साहन/सब्सिडी दी जाती है।

*****